सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

14 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 90 राँची, गुरुवार, 5 मार्च, 2026 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

16 फरवरी, 2026

संख्या-07/हो०गा० (आरोप)-05/2024-1031--झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी के पत्रांक- 327, दिनांक- 19.02.2025 के द्वारा गठित आरोप संख्या 01 एवं 02 में श्री रवि कुमार कुजूर, तत्कालीन जिला समादेष्टा, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, हजारीबाग (वर्तमान गिरिडीह) के विरूद्ध हजारीबाग में पदस्थापन के दौरान 23 निजी व्यक्तियों को फर्जी तरीके से नामांकित एवं पुर्ननामांकित कर रूपये 1,03,72,734/- (एक करोड़ तीन लाख बहत्तर हजार सात सौ चौतीस रूपये) भुगतान करने के विरूद्ध लोहसिंघना थाना, हजारीबाग में प्राथमिकी संख्या 208/2024, दिनांक-14.11.2024 विभिन्न धाराओं में दर्ज है ।

आरोप पत्र की कंडिका-03 एवं 04 में अंकित आरोप हजारीबाग में गृहरक्षकों के नवनामांकन से संबंधित विज्ञापन संख्या-01/2019 से संबंधित है। इस मामले में भी लोहसिंघना थाना, हजारीबाग में प्राथमिकी संख्या-171/2021, दिनांक-13.12.2021 दर्ज कराया गया है ।

श्री कुजूर पर लगाये गये आरोप बहुपक्षीय हैं, जिसमें दो प्राथमिकी लोहसिंघना थाना, हजारीबाग में दर्ज हैं। विज्ञापन संख्या-10/2019 से संबंधित अनेक दस्तावेजों के साथ-साथ श्री कुजूर द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण लगभग 284 पृष्ठ हैं। इन सभी साक्ष्यों की गहन और विस्तृत जाँच आवश्यक है ।

अतएव श्री रवि कुमार कुजूर के विरूद्ध गठित आरोप (आरोप पत्र संलग्न) की जाँच के लिए सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के अधीन श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत भा०प्र०से० को संचालन पदाधिकारी तथा श्रीमती किरण बोदरा, अवर सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है ।

2 श्री रवि कुमार कुजूर से यह अपेक्षा की जाती है कि संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प की प्राप्ति की तिथि से 10 (दस) दिनों के अंदर या जैसा कि संचालन पदाधिकारी विहित करे अपना अंतिम बचाव पक्ष संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित करेगें ।

3. आरोपित पदाधिकारी अपने बचाव में किसी साक्ष्य या साक्ष्यों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

4. विभागीय कार्यवाही संचालन प्रस्ताव पर माननीय विभागीय (मुख्य) मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति विभागीय संचालन पदाधिकारी एवं एक प्रति श्री रवि कुमार कुजूर को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाए ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ओम प्रकाश तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 90 - 50